न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला चूरू (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– श्री श्योराम वर्मा, आर.ए.एस.

वाद सं.– 148/21

श्रवणसिंह पुत्र लालसिंह जाति राजपुत निवासी कांधलसर तहसील बीदासर जिला चूरू

वादी

बनाम

1. मदनकंवर पत्नि लालसिंह जाति राजपुत निवासी कांधलसर तहसील बीदासर जिला चूरू
2. पेमसिंह पुत्र लालसिंह जाति राजपुत निवासी ग्राम कांधलसर तहसील बीदासर जिला चूरू
3. भंवरसिंह पुत्र लालसिंह जाति राजपुत निवासी ग्राम कांधलसर तहसील बीदासर जिला चूरू
4. राजस्थान सरकार जरीये तहसीलदार बीदासर जिला चूरू

प्रतिवादीगण

राजस्व वाद संयुक्त खातेदारी भूमि का विभाजन व चिर निषेधाज्ञा की डिग्री प्राप्ति बाबत व राजस्व अक्स में दुरूस्ती बाबत।

उपस्थित :– 1. श्री मनोज गोदारा एडवोकेट– वकील वादी
2. पेरोकार राज

–: निर्णय :– दिनांक:– 01-07-22

प्रस्तुत वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि वादी एंव प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 3 तीन के संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त उपयोग उपभोग का खेत खसरा संख्या 628/590 छः सौ अठाईस बट्टा पांच सौ नब्बे तादादी 3.2122 तीन दशमलव दौ एक दौ दौ हेक्टेयर भूमि वाके रोही ग्राम कांधलसर तहसील बीदासर जिला चूरू में स्थित है जिसमें वादी का 191/777 एक सौ इकरानवे बट्टा सात सौ सतहतर हिस्सा है जिसे आगे इसमें वादगत भूमि के नाम से पुकारा गया है। वर्तमान मौका कब्जा काश्त अनुसार व मुताबिक मौखिक विभाजन के वादगत भूमि में वादी की 191/777 हिस्सा भूमि पूर्वी साईड में मुख्य सडक पर आई हुई है। वादगत भूमि का हम पक्षकारों ने सहमति से विभाजन करवाया था। विभाजन करते समय हल्का पटवारी कें सहवन से हमारे खसरों की तरमीम गलत हो गई। मौका व कब्जा काश्त अनुसार अक्स में खसरा संख्या 629/590 की जगह खसरा संख्या 628/590 का अंकन होना चाहिए व खसरा संख्या 628/590 की जगह खसरा संख्या 629/590 का अंकन होना चाहिए जबकि दोनों की तरमीम एक दूसरे की जगह कर दी गई जो कि गलत है। खसरा संख्या 562/500 की तरमीम अक्स में गलत की गई है। वर्तमान मौका कब्जा काश्त अनुसार अक्स में खसरा

उपखण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner

संख्या 562/500 की तरमीम खसरा संख्या 633/578 के चिपती पूर्वी साईड में होनी चाहिए। खसरा संख्या 581/561 की वर्तमान तरमीम भी गलत है। वर्तमान मौका कब्जा काश्त अनुसार अक्स में खसरा संख्या 581/561 की तरमीम खसरा संख्या 628/590 की पूर्वी साईड में मध्य में मुख्य सडक पर होनी चाहिए थी जो नहीं है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 3 तीन वादगत खेत को अलग–अलग काश्त करते आ रहे है। सभी का अलग अलग कब्जा काश्त है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 3 तीन का खान–पान, रहन–सहन सब अलग–अलग है। वादगत खेत की खातेदारी राजस्व रेकार्ड में संयुक्त अंकित होने के कारण वादी को सरकारी लाभांश प्राप्त करने में भारी परेशानीयां उठानी पड रही है। इस कारण वादी के लिए आवश्यक हो गया कि वोह अपनी संयुक्त खातेदारी भूमि में सें अपनी हिस्सा भूमि का विधिवत विभाजन करवाकर अपने हिस्से की खातेदारी भूमि राजस्व रेकार्ड में पृथक अंकित करवाकर लगान का विभाजन कराये जिसके लिए वादी को कानूनी अधिकार प्राप्त है। वादी ने दिनांक 10.12.2021 को प्रतिवादीगण से मौखिक रूप से निवेदन किया कि वादगत खेत का विधिवत विभाजन करवाकर अपने–अपने हिस्से की खातेदारी भूमि पृथक पृथक राजस्व रेकार्ड में अंकित कराये। प्रतिवादीगण साफ इनकार हो गये तथा प्रतिवादीगण ने वादी को ऐलानीयां तोर पर धमकियां दी कि वोह अच्छी किश्म की भूमि पर जबरन बलपूर्वक कब्जा करके वादी को बेदखल करेंगे तथा किसी भूमाफियों को विक्रय करके अच्छी किश्म की भूमि का कब्जा करवाकर ही रहेगे, जबकि ऐसा करने का प्रतिवादीगण को कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है। प्रतिवादीगण अपने गैरकानूनी कृत्य में सफल हो गये तो वादी को न केवल अपूर्तिय क्षति होगी बल्कि भयंकर असुविधा भी होगी। इसलिए वादी के लिए आवश्यक हो गया कि वोह न्यायालय से चिर निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्त कर प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 3 तीन को वर्जित कराये कि वोह वादी को अपनी हिस्सा भूमि से जबरन बलपूर्वक कब्जा करके बेदखल नहीं करें और जब तक विधिवत रूप से विभाजन नहीं हो जाता तब तक किसी हिस्से या अंश को विक्रय, हस्तांतरण, रहन आदि नहीं करें ओर ना ही वादी के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की बाधायें, रूकावटें आदि स्वंय पैदा करें या किसी अन्य से करवायें। वादगत खेत वादी के संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त उपयोग उपभोग का होने से वादी को वादाधार प्राप्त है। प्रतिवादीगण की ऐलानियां धमकियां से वादी को वाद हेतुक प्राप्त है। वाद में राजस्थान सरकार आवश्यक पक्षकार है। राजस्थान सरकार के विरूद्ध वाद पेश करने से पूर्व राजस्थान सरकार को 2 दौ माह की अवधि का धारा 80(2) सी.पी.सी. के तहत कानूनी नोटिस दिया जाना आवश्यक है। लेकिन मामला आवश्यक प्रकृति का होने के कारण एंव प्रतिवादीगण द्वारा वादी को जबरन बेदखल करने की ऐलानियां धमकियां दिये जाने के कारण वाद तुरन्त पेश किया जाना आवश्यक हो गया है। इस कारण राजस्थान सरकार को 2 दौ माह की अवधि का नोटिस दिया जाना संभव नहीं है। वादी द्वारा दावा पेश करने के लिए अलग से धारा 80(2) सी.पी.सी. के तहत न्यायालय से अनुमति लेकर यह दावा पेश किया जा रहा है। वाद वादी संयुक्त खातेदारी भूमि का विभाजन एंव चिर निषेधाज्ञा डिक्री प्राप्ति, अक्स में संशोधन का है। वादगत खेत रोही ग्राम कांधलसर तहसील बीदासर जिला चूरू

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

Scanned by CamScanner

में स्थित है। इस कारण इस वाद की सुनवाई करने का श्रवणाधिकार एंव क्षैत्राधिकार श्रीमानजी के न्यायालय को प्राप्त है। वाद वादी निर्धारित न्याय शुल्क पर अन्दर मियाद प्रस्तुत है। आदि–आदि अंकित कर वाद पत्र पेश किया।

वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरीये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 बावजुद तामिल उपस्थित नहीं। इस कारण प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वाद में पेरोकार राज का जवाब आ चुका है। वादी द्वारा साक्ष्य वादी में अपना शपथ पत्र पेश किया गया। जो शामिल पत्रावली किया गया। बहस सुनी गई। वकील वादी ने वाद को डिक्री करने का निवेदन किया।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादी की ओर से साक्ष्य में पेश शपथ–पत्र का अवलोकन किया गया। वादी ने वादगत भूमि में अपनी हिस्सा भूमि का विभाजन करने व तरमीम शुद्व करने का निवेदन किया है। वादी के वाद को डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–: आदेश :–

अतः वादी के वाद को इस प्रकार से अंतिम डिक्री किया जाता है कि रोही ग्राम कांधलसर के केवल अक्स में खसरा संख्या 628/590 की जगह 629/590 व खसरा संख्या 629/590 की जगह 628/590 का अंकन किया जावे। खसरा संख्या 562/500 की वर्तमान तरमीम को निरस्त कर उसकी तरमीम खसरा संख्या 633/578 की पूर्वी साईड व खसरा संख्या 634/578 की दक्षिणी साईड में की जावे। खसरा संख्या 581/561 की वर्तमान तरमीम को निरस्त कर उसकी खसरा संख्या 628/590 की पूर्वी साईड में सडक पर मध्य में तरमीम की जावे। खसरा संख्या 628/590 तादादी 3.2122 हेक्टेयर की तरमीम शुद्व करने के बाद इसमें वादी की पूर्वी साईड की 191/777 हिस्सा भूमि की अलग खातेदारी दर्ज कर लगान का विभाजन करने व इसी अनुसार तरमीम करने का आदेश तहसीलदार बीदासर को दिया जाता है। तदनुसार अंतिम डिक्री जारी हो। अंतिम डिक्री की पालना हेतु तहसीलदार बीदासर को लिखा जावे। खर्चा पक्षकार स्वंय वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 01–07–22 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

Scanned by CamScanner